न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000262/2015

सरकार...बनाम...राहुल उर्फ छेदी लाल यादव आदि

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.राहुल उर्फ छेदी लाल यादव एवं 2.शिवा उर्फ रामनारायन यादव** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:—

1. यह कि दिनॉक 31/08/2014 को समय सायंकाल स्थान ग्राम जैतीखेड़ा थाना मोहनलालगंज जिला लखनऊ में आप लोगो ने साशय वादी मुकदमा राज किशोर के लड़के राजेश कुमार जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को अपहृत करके ग्राम दहेलिया थाना मसौली जिला बाराबंकी हत्या व लूट की आशय से अपहृत करके ले गये और इस प्रकार आप लोगो ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 364 सपठित धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांकख्समय एवं स्थान पर आप लोगो ने साशय वादी मुकदमा राज किशोर के लड़के राजेश कुमार जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, की हत्या चाकू मारकर की और इस प्रकार आप लोगो ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर वादी मुकदमा राज किशोर के लड़के राजेश कुमार की हत्या करने के उपरांत साक्ष्य विलुप्त करने के आशय से उसके शव को ग्राम दहेलिया थाना मसौली जिला बाराबंकी मे छिपा दिया और इस प्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 201** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा राज किशोर के लड़के राजेश कुमार की हत्या करने के उपरांत उसकी मोटर साईकिल नं0 यू0पी0—32/डीटी—5499 व मोबाइल फोन लूट लिया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 394 सपठित धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण**

अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर वादी मुकदमा राज किशोर के लड़के से लूटी गयी मोटर साईकिल व मोबाइल फोन बरामद किया गया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 411** के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक :06/01/2016

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होनें इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक :06/01/2016

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000262 / 2015

सरकार बनाम राहुल उर्फ छेदी लाल यादव आदि

<u>06–01–2016</u>

पुकारा गया। अभियुक्त **राहुल उर्फ छेदी लाल यादव व शिवा उर्फ रामनारायन यादव** उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्व थाना मोहनलालगंज द्वारा आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302,364,201,394,411 भा0दं0सं0 व धारा (2)5 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियेाजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उसे उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्त के विरुद्व प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 302,364,394 भा0दं0सं0 सपठित धारा 3(2)5एससी / एसटी एक्ट व धारा 201,411 भादंसं0 गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त पर उपरोक्त धाराओ में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होनें आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनॉक...............................को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।